Date :

HISTORY (H)

PAPER - III

B.A - II.

B. Polity — Nature of Regional Politics.

चोल कालीन स्थानीय प्रशासन :

CHOLAS - Local Administration

चोल कालीन प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ग्रामीण स्तर पर स्थानीय शासन या स्वायत्तता की व्यवस्था थी। चोल कालीन अभिलेख की प्रचुरता के कारण हमें इस साम्राज्य के ग्राम प्रशासन की अधिक जानकारी मिलता है।

अभिलेखों में दो सभाओं का उल्लेख मिलता है - उर,

Scanned with CamScanner

SELCO

Date :

(ii) सभा या महासभा।

उर गाँव की आम सभा थी। किसी भी गाँव के व्यस्क पुरुष करदाताओं के रूप में उर या ग्राम या मैलग्राम का संचालन होता था।

सभा या महासभा अग्रहार कहे जाने वाले ब्राह्मणों व गाँवों के व्यस्क सदस्यों की सभा थी। अग्रहार गाँवों में ब्राह्मण लोग निवास करते थे और वहाँ की अधिकांश भूमि लगान मुक्त होती थी तथा इसके काफी स्वायत्तता मिली हुई थी।

→ इन समितियों के कार्य :-

वरियम और वरियार के कार्य :-

→ करों की वसूली, करों का लगाना एवं माफ करना।

Scanned with CamScanner

Date :

→ न्यायिक कार्य, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की देखरेख।
→ कृषि का विकास एवं समुचित व्यवस्था करना।
→ मंदिरों की देख-रेख करना।

ग्रामीण प्रतिनिधि सभाओं के अतिरिक्त नगरम नामक प्रतिनिधि सभा की भी चर्चा मिलती है जो व्यापारियों के हितों और उनकी गतिविधियों की देख-रेख करती थी।

उत्तरमेरूर के दो अभिलेखों से मिलती है जो क्रमशः 919 एवं 921 ई० के है। इस अभिलेखों से ज्ञात होता है कि इन प्रतिनिधियों का प्रत्येक वर्ष चयन किया जाता था। इसके अंतर्गत 30 सदस्य प्रत्येक वर्ष बदल दिये जाते थे जबकि सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होता था। प्रत्येक गाँव से 6 गाँवों में बाँटा गया था

Scanned with CamScanner

SELCO

Date :

चुनाव लड़ने की योग्यता:-

→ वह उस गाँव का निवासी हो जहाँ से चुनाव लड़ रहा हो।

→ 30 से 70 वर्ष तक उम्र तथा शिक्षित भी हो।

→ वह 1/4 वेलि भूमि का मालिक हो।

→ उसका अपना मकान हो।

→ वह वैदिक मंत्रों का ज्ञाता हो।

→ सदस्यों का कार्यकाल के दौरान हटाने का भी प्रावधान था। जैसे —

→ यदि किसी सदस्य ने तीन वर्ष तक खर्चे का लेखा-जोखा प्रस्तुत नहीं किया हो।

→ किसी भ्रष्टाचार मामले में संलिप्त पाये जाने पर।

चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव होती है। इसकी जानकारी चोल अभिलेख से

Scanned with CamScanner

Date :

मिली है। आधुनिक चुनाव प्रक्रिया के समान ही ग्रामीण शासन के लिए चुनाव मत का विभाजन किया गया था। चुनाव के लिए आवश्यक था कि व्यक्ति उसी गाँव का व्यक्ति था ताकि वैसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जाय जो स्थानीय परिस्थितियों से अवगत हो

सदस्यों का चुनाव लड़ने के लिए भी प्रचालित योग्यता का प्रावधान किया गया था। किसी भी शासन के सफलता पूर्वक संचालन के लिए आवश्यक होता है कि योग्य एवं अनुभवी होना आवश्यक होता है।

इस प्रकार ग्राम सभा या प्रशासन की एक महत्वपूर्ण इकाई हुआ करती थी, जो स्थानीय स्तर पर कार्यपालक विधायी एवं न्यायिक प्रकृति का सम्पन्न करती थी। ये संस्थायें अपने दायित्वों का

Date :

निर्वहन इमानदारीपूर्वक करती थी। ग्राम सभाओं से परामर्श जरूर लेता था। आरंभ में ये सभाएँ बहुत हद तक स्वायत्त थी लेकिन उत्तरकालीन चोलों के समय केन्द्रीय हस्तक्षेप बढ़ता गया। सामान्यतः आपसी कलह हिंसा एवं महत्वपूर्ण विवादों की स्थिति में राज्य हस्तक्षेप करता था। कई बार केन्द्रीय कर्मचारियों की उपस्थिति में ही ग्रामीण सभाओं के प्रस्ताव पारित किये जाते थे।

DR. UDAY KUMAR.
DR. L.K.V.D. College Tajpur